

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

संख्या: प-1896/एफएस-1।

दिनांक: दिसम्बर 28, 2015

सेवा में,

अधिकृत हस्ताक्षरी

प्रॉपलारिटी होम्स प्रा0लि0

बिजनौर, लखनऊ।

विषय:-

भू0 सं0- 2335, 2336, 2340 व 2341 ग्राम-बिजनौर लखनऊ में मैसर्स प्रॉपलारिटी होम्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन को संशोधित प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक-11-12-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर, द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीशीलन किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-।

भवन की संरचना :-

- 1- कुल भूखण्ड एरिया प्लॉट ए-2868.50 वर्ग मीटर व प्लॉट बी का प्लॉट एरिया 25841.50 वर्ग मीटर।
- 2- प्रस्तावित भवन का कुल ग्राउण्ड कवरेज 7027.31 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है।
- 3- प्रस्तावित भवनों का कुल फ्लोर एरिया 66941.66 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है।
- 4- भवन के बेसमेंट का कवर्ड एरिया -

- प्लॉट के बेसमेंट का कवर्ड एरिया-1849.64 वर्ग मीटर।
- प्लॉट बी के बेसमेंट का कवर्ड एरिया 17850.95 वर्ग मीटर।

- 5- प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊँचाई -

- प्लॉट ए प्लॉट टावर की अधिकतम ऊँचाई-44.30 मीटर।
- प्लॉट बी पर प्रस्तावित भवनों की अधिकतम ऊँचाई- 32.70 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजाई श्रेणी -प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दोचागत व्यवस्था :-

1-पहुँच मार्ग :-प्रश्नगत भव। 24.0 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर प्रस्तावित है।

2-प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई :-प्रत्येक भवन परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 02-02 गेट प्रस्तावित है, जिनकी चौड़ाई 4.50-4.50 मीटर रखा जाना मानचित्र में अंकित है।

3-सेटबैक :- प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है-

प्लॉट ए

- अग्रभाग- 09.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 09.00 मीटर।
- पार्श्व भाग प्रथम- 09.00 मीटर।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 09.00 मीटर।

प्लॉट-बी

- अग्रभाग- 20.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 09.00 मीटर।
- पार्श्व भाग प्रथम- 09.00 मीटर।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 09.00 मीटर।

एनबीसी-2005 में भवन की ऊँचाई के सापेक्ष 13 मीटर सेटबैक बांछनीय है जिसमें से 06 मीटर रेगुल सेटबैक रखा जाना अनिवार्य है। सन्दर्भित भूखण्ड लीडा एरिया, बिल्डिंग रेगुलेशन-2009 से आच्छादित है जिसमें भूखण्ड के आकार के आधार पर सेटबैक प्राविधानित किये गये हैं। इस भूखण्ड के अनुसार 09 मीटर सेटबैक चारों तरफ लीडा एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन 2009 में